प्राचीन सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांकः— 87 दिनांक— 18/10/2025

—::आदेश::—

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी 11 TK भू.अ.नि. दलमाल को रिपोर्ट तथा तहसीलदार ..... नायब तहसीलदार ..... की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 9 TK तहसील रामगढ़शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबंदी सम्वत 2076-2079 में खाता संख्या 43 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र०स	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	9 TK	43	श्यामसिंह पुत्र अमरसिंह जाति बावरी खा.ई खातेदार राहिन:-(पूर्व खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा नई धान मंडी रामगढ़शेखावाटी	श्यामसिंह पुत्र अमरसिंह जाति बावरी खा.ई खातेदार राहिन:-(पूर्व खाता) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नई धान मंडी रामगढ़शेखावाटी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़शेखावाटी

क्रमांकः— 88 ता 90 दिनांकः— 18/10/2025

1. तहसीलदार रामगढ़शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री श्यामसिंह को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली ।
4. पटवारी Emark 11 TK

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़शेखावाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.29 17:38:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner